प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

महिला सम्बन्धी अपराध में पुलिस द्वारा की गयी रा.सु.का (N.S.A) की कार्यवाही को मा0 उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड द्वारा किया गया पुष्ट

दिनांकः-13.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह के द्वारा जनपद में घटित गम्भीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में महिला सम्बन्धी अपराध कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले दो अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रा.सु.का) 1980 की कार्यवाही को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा पुष्ट किया गया है।

थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शीबू पुत्र स्व0 शब्बू निवासी ग्राम हाजीपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर तथा थाना नैमिषारण्य पुलिस द्वारा अभियुक्त रामकिशुन पुत्र कढ़िले निवासी ग्राम श्रीनगर मजरा मरेली थाना नैमिषारण्य जनपद सीतापुर के विरूद्ध महिला सम्बन्धी अपराधी कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने पर पुलिस द्वारा रा.सु.का की कार्यवाही की गयी थी तथा अभियुक्तगण को निरूद्धि आदेश तामील कराया गया था। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रकरणों की सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा की गयी रा.सु.का की कार्यवाही को पुष्ट करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध निरूद्धि आदेश पारित किया गया है जिससे अभियुक्तगण अब एक वर्ष तक जेल में निरूद्ध रहेंगे।